Date 13/05/2020 | Page: 1 to 4

B.A. PART- IST
POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH:-9 (CONCEPT OF LIBERTY)
LECTURE NO. – 27 (TWENTY SEVEN)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

स्वतंत्रता और कानून का सम्बंध –

स्वतंत्रता और कानून के संबंध के संदर्भ में दो तरह की विचारधाराएँ हैं :-
(i) कानून स्वतंत्रता का विरोधी है।
(ii) कानून स्वतंत्रता का रक्षक है।

(i) प्रथम विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं; जितने अधिक कानून होंगे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। इस विचारधारा का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादियों के द्वारा किया गया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं, इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून-निर्मात्री संस्था का अंत हो चाहिए। विलियम गाडविन के शब्दों में, "कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है (Law is an institution of the most pernicious type)।"

व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। डायसी के शब्दों में "एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी।"

साम्यवादियों के अनुसार कानून उच्च

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/_____

वर्ग के हितों का लाभ पहुँचाने का एक साधन है और इसी वजह से इनके द्वारा वर्गविहिन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गयी है।

इस प्रकार प्रथम विचारधारा कानून को स्वतंत्रता का विरोधी मानता है।

(ii) द्वितीय विचारधारा के अनुसार कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, वरन् स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं; इसीलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून का रहना नितांत ही आवश्यक है।

द्वितीय विचारधारा के समर्थक विद्वान है- ग्रीन, लॉक, विलोबी, रिची, हॉकिंग, लास्की आदि।

लॉक के अनुसार, "जहाँ कानून नहीं होता, वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है।"

विलोबी के अनुसार, "जहाँ नियंत्रण होते हैं, वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है।"

प्रो० रिची के शब्दों में, "व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य-क्षेत्र के बाहर हो।"

हॉकिंग के अनुसार, "व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए।"

उपर्युक्त विद्वानों के विचार बहुत कुछ सीमा तक ही सही है। कानून तीन प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं जो हैं—

Page No.

Saathi

Date __/__/____

(i) राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं-

यदि समाज में किसी प्रकार का कानून नहीं हो तो शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेगा, उसका विभिन्न तरह से शोषण करेगा और दोनों के बीच संघर्ष होगा। यह प्रक्रिया अनवरत होने से किसी की भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इन्हीं वजहों से कानून का रहना जरूरी है।

(ii) कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं-

कानून संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कर व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है- भारत और अमेरिका आदि देशों में मौलिक अधिकारों से सम्बंधित कानून। इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में अपील कर राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है।

(iii) कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएँ प्रदान करते हुए उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं-

कानून के द्वारा ही व्यक्तियों को सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। इसके लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के सम्बंध में कानूनी व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जनस्वास्थ्य आदि का प्रबंध करता है।

उपर्युक्त विवरण के उपरान्त कहा जा सकता है कि साधारण रूप से राज्य के कानून व्यक्तियों की

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/_____

स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं।

सभी कानून स्वतंत्रता के संरक्षक एवं साधक नहीं हैं। खासकर लोकतंत्रात्मक एवं लोककल्याणकारी राज्यों के कानूनों को छोड़कर अन्य प्रकार के राज्यों के कानून, जहाँ पर शासक वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति कर नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। जैसे- हिटलर और मुसोलिनी द्वारा क्रमशः जर्मनी एवं इटली में जिन कानूनों का निर्माण किया गया था, उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। इसी प्रकार वर्तमान समय में साम्यवादी देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित हो गयी है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा रक्षा नहीं करते हैं, केवल आदर्श कानून ही ये कार्य करते हैं। बार्कर के शब्दों में- "व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता और उनका पालन कर सकता हूँ।"

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि कानून यदि राज्य एवं जनता दोनों के हित के लिए हों, लोककल्याणी हो, तो स्वतंत्रता की रक्षा होगी और ये स्वतंत्रता के रक्षक होंगे और यदि कानून का निर्माण शासक वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जनता के हितों की अवहेलना करेगा तो ऐसे कानून को स्वतंत्रता का विरोधी कहा जाएगा।

×———×———×———×———×———×

संभावित प्रश्न :

स्वतंत्रता और कानून का पारस्परिक सम्बंध स्पष्ट कीजिए।

यह कहाँ तक सत्य है कि कानून स्वतंत्रता का रक्षक है।"

Scanned with CamScanner